अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/488/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 11th जुलाई, 2013

सेवा में,

श्री संजीव कुमार यादव,
201, अंसल क्लासिक टावर,
जे ब्लॉक, राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली-110059

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 20.06.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 4.7.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपके दिनांक 05.10.2011 के आवेदन का पता नहीं लग पा रहा है। तथापि, आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, अत: आर टी आई अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने और सूचना सीधे उपर्युक्त आवेदक को उपलब्ध कराने हेतु इसे दिल्ली पुलिस को अन्तरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

Issued with encl.
1854
23/7

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
एवं अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष: 23092856

प्रतिलिपि:

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली। संलग्न आर टी आई आवेदन की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे उपलब्ध कराई जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।